न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27/2020 G.C.M.S. No. 2020/00055 दर्ज दिनांक : 23.06.2020

अपीलार्थिगण:

1. थानाराम पुत्र बगतारामजी
2. घेवरराम पुत्र बगतारामजी
3. जोराराम पुत्र बगतारामजी
4. अर्जुनराम पुत्र रामरखजी, जातिगण विश्नोई, निवासीगण जाम्माणी हाईवे होटल, ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मानसिंह पुत्र नरसिंहजी, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 39/2017 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित– 1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 09.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 39/2017 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अधीनस्थ अदालत में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 आर.टी. एक्ट एवं सपठित धारा 136 आर.एल. आर. एक्ट वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम नेतरा, तहसील–सुमेरपुर में स्थित गत खसरा नं. 45 रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 05 बीघा भूमि दिनांक 01.05.1986 को राजस्व अभियान केम्प नेतरा में वादी को आवंटन हुई एवं वादी ने सनद राशि जमा करवाई। गत खसरा नं. 45 के हाल खसरा नं. 90 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 119 रकबा 8.88 हैक्टेयर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

एवं खसरा नं. 121 रकबा 0.84 हैक्टेयर बने। राजस्व अधिकारियों व मू–प्रबन्ध अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया, जिस हेतु घोषणा का दावा प्रस्तुत किया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के द्वारा खसरा नं. 91 रकबा 0.6450 हैक्टेयर भूमि की 10 प्रतिशत डी.एल.सी. राशि वादी के वसूल कर अमल दरामद करने के आदेश दिये है। जिस निर्णय व डिक्री से अपीलार्थीगण व्यथित व पीड़ित पक्षकार है। क्योंकि खसरा नं. 91 के जिस जगह वादी का कब्जा होना प्रकट किया गया है। उस भूमि पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। बल्कि खसरा नं. 91/6 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा व उपयोग–उपभोग काफी वर्षों से चला आ रहा है, जो आज भी कायम है। लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में बिना कोई सूचना के वादी के कहे अनुसार एकतरफा वादी का कब्जा प्रकट करने की रिपोर्ट बनाई है। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध चुनौती देने का अधिकार रखते हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थिगण अपनी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि वादी ने अपने वाद में खसरा नं. 45 के जो बने नये खसरा नं. 91 का रकबा वाद पत्र में जो रकबा 2.73 हैक्टेयर अंकित किया है, वह गलत है। क्योंकि खसरा नं. 91 का मूल एवं सही रकबा 2.78 हैक्टेयर है। वादी को किस भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य दावे के साथ वादी द्वारा पेश नहीं किया गया है। वादी का खसरा नं. 91 के किस विशेष भाग पर कब्जा है। इस सम्बन्ध में कोई मेजरमेन्ट या नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अपना कब्जा तथाकथित भूमि पर साबित नहीं हुआ है। यही नहीं गत खसरा नं. 45 की भूमि जो जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2028 में 74 बीघा 15 बिस्वा दर्शाई गई है जो किस्म गै. मु. पहाड के रूप में दर्ज है। जो आवंटन योग्य ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में जब आवंटन ही अवैध व कानूनन नहीं हैं तो इसकी पालना किसी भी रूप से कानूनन न्यायोचित नहीं थी। वादी द्वारा लम्बे समय तक उक्त पालना के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय में वाद पेश नहीं करना भी अपने आप में यह प्रकट करता है कि उक्त आवंटन की पालना करवाना कानून संभव नहीं था, परन्तु अब मौका देखकर वर्ष 2017 में उक्त भूमि को हड़प करने की नियत से गलत तथ्यों व बिना कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी ने जो वाद में तथ्य प्रकट किये हैं, उसके अनुसार खसरा नं. 45 में तथाकथित आवंटन होना प्रकट किया है। जबकि खसरा नं. 45 से नये खसरा नं. 90, 91, 119 व 121 बने हैं। ऐसी स्थिति में किस नये खसरे में वादी का कब्जा है, उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वादी द्वारा वाद पत्र के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादी द्वारा खसरा नं. 91 में अपनी आवंटनशुदा भूमि को बताकर अपना काल्पनिक कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज करने की मांग की है, जो किसी भी रूप से प्रमाणित नहीं हैं। यहां तक कि पटवारी हल्का ने वाद में जो मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है, वो भी अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में केवल मात्र वादी के कहने के आधार पर अंकित की गई है। जबकि खसरा नं. 91 में अन्य लोगों का अपीलार्थीगण के साथ कब्जा एवं उपयोग–उपभोग कायम है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2020 में मार्क "सी" के स्थान पर वादी का कब्जा प्रकट किया गया है, वहां पर वादी का कोई कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि अपीलार्थीगण की कब्जाशुदा खसरा नं. 91/6 तरमीमशुदा है। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा डिजिटल नक्शे में खसरा नं. 91/6 की भूमि को विभाजित करते हुए खसरा नं. 91/6 व 1354/91 राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जो कानूनन सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना दर्ज की गई है, जो गलत व विधि विरूद्ध है तथा इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी को फायदा पहुंचाने की नियत से नेशनल हाईवे की नजदीक भूमि को पटवारी हल्का की मिलीभगत से निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। खसरा नं. 91 रकबा 1.73 हैक्टेयर में से वर्ष 2007 में 91/6 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि श्री बालाजी एजुकेशनल सोसायटी, जांगु भवन, शिव मन्दिर के पास, जाटावास औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पं. समिति, सुमेरपुर, जिला पाली को आवंटन की गई। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 758 दिनांक 10.10.2007 के द्वारा दर्ज की गई है एवं शेष भूमि में से खसरा नं. 91/6 रकबा 1.02 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण व अन्य का कब्जा है। इस प्रकार जब खसरा नं. कोई शेष रकबा इतना नहीं रहता है जिस पर वादी का दावा साबित होता है, तो वादी को खातेदारी किसी भी रूप से प्राप्त नहीं हो सकती थी और न ही कब्जा कोई वादी को किसी भी रूप में सुपुर्द किया गया है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य ही नहीं था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादी के नाम खसरा नं. 91 में रकबा 0.6450 हैक्टेयर खातेदारी अमल दरामद करने के जो निर्णय व डिक्री दिये है, वो कानूनन निरस्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थें। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं रही हैं। हाल ही में कोरोना महामारी के चलते सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन था, जिसके रहते चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान वादी अपीलार्थीगण के पास उक्त भूमि पर आया और अपीलार्थीगण को उक्त भूमि से कब्जा खाली करने हेतु दिनांक 25.05.2020 को कहा एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह भी कहा कि आपकी उक्त कब्जे की भूमि मेरे नाम से दर्ज करने के आदेश हो गये हैं जिसकी प्रति बताई एवं धमकाते हुए कहा कि मौके से कब्जा खाली नहीं करोगे तो मैं पुलिस के जरिये कब्जा खाली करवाउंगा एवं मौके पर पड़ी सामग्रियों को अपने कब्जे में ले लूंगा। जिस पर अपीलार्थीगण उपखण्ड कार्यालय, सुमेरपुर गये व सम्बन्धित लिपिक से प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर दिनांक 27.05.2020 को नकल हेतु आवेदन सं. 83 प्रस्तुत किया एवं दिनांक 28.05.2020 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल मिलने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रथम बार हुई। नकल प्राप्त होने व जानकारी की दिनांक से अपीलार्थीगण की अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा निम्नलिखित न्यायिक नजीर प्रस्तुत कीः—

1. AIR 2020 S.C. 4038
2. 2011 (2) RRT 1068
3. 2021 (2) RRT 1443

हमनें विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया एवं प्रकरण के निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 2 प्रतिवादी के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं था। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 91/6 में प्रार्थीगण की कब्जे में लकड़ियां, ईंटें,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्थर मौके पर पड़ें हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा, उपयोग–उपभोग होने के बावजूद प्रार्थीगण को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जिससे प्रार्थी पीड़ित व प्रभावित पक्ष है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 1 की आवंटनशुदा कब्जाकाश्त भूमि है। जिसमें प्रार्थी का कोई हित व हक निहित नहीं हैं एवं न ही प्रार्थी का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि भूप्रबंध से राजकीय भूमि थीं, जिसमें से 5 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार रेस्पोंडेंट संख्या 1 को आवंटित की गई थीं। जिस पर आवंटी का कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग है। जिसकी जांच उपरांत जांच रिपोर्ट से ही इस बात की ताईद होती हैं कि अपीलांट द्वारा कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज व पी–14 आदि पेश नहीं किए हैं। न ही अपीलांट का अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार निहित है। अतः अपीलांट प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है एवं न ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में पत्रावली व इस पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के ससम्मान अध्ययन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट मत है कि यह सुस्थापित तथ्य है कि अपीलाधीन भूमि भूप्रबंध से राजकीय सिवायचक भूमि थीं। जिसमें से 5 बीघा भूमि आवंटन एवं नियमन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.05.1986 को आवंटी रेस्पोंडेंट संख्या 1 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थीं। इस प्रकार उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीयात में अपीलांट का कानूनन कोई हक व अधिकार निहित नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि पर उसका कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग होने का अंकन करते हुए इसमें अपना हित निहित होना अंकित किया है, के संबंध में हमारा यह विनम्र मत है कि प्रथम तो अपीलांट द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह विश्वास किया जाए कि उसका अपीलाधीन भूमि पर उपयोग–उपभोग व कब्जाकाश्त है, दोयम महज अतिक्रमी की हैसियत के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार व हित का दावा कानूनन नहीं किया जा सकता तथा केवल विधिविरूद्ध अतिक्रमण के आधार पर अपीलांट एक प्रभावित व आवश्यक पक्षकार होने का दावा नहीं कर सकता। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कानूनन किसी प्रकार का हित व हक निहित नहीं होने, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट के विरूद्ध पारित नहीं होने व अपीलांट प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नहीं होने तथा अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित पक्ष नहीं होने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं हैं। अतः अपीलांट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी बखूबी साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत व उचित प्रतीत होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **09.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner